संख्या-31/2022/1244 ई-2/तेरह-2022-370/1999-399922

प्रेषक,

राजवीर सिंह,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 **लखनऊःदिनांक 06 जुलाई, 2022**

विषयः मे. क्रिस्टल बालाजी इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम बेगराजपुर, तहसील खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर में 200 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता की ग्रेन पर आधारित औद्योगिक आसवनी स्थापित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-146/दो-प्रा0डी0-245, दिनांक 18-04-2022, पत्र संख्या-जी-188/दो-प्रा.डी.-245, दिनांक 28-06-2022 एवं प्रकरण में शासनादेश दिनांक 26-03-2021 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ. प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 30-05-2022 के कार्यवृत्त संख्या-1219ई-2/तेरह-2022-370/1999-399922, दिनांक 30-06-2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स क्रिस्टल बालाजी इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम बेगराजपुर, तहसील खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा 200 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 330 कार्य दिवस के आधार पर 660 लाख लीटर अधिष्ठापित क्षमता की अनाज पर आधारित औद्योगिक आसवनी, जिसके अन्तर्गत अब्सोल्यूट अल्कोहल का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, स्थापित किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उत्पादन किया जाएगा:-

(क) आसवनी द्वारा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(ख) ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(ग) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया तदुनसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(**राजवीर सिंह**)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।